क्षात्रं योगाहरी प्राप्त विश्व

मुखा कार्यातक भिन्मक नोएस विकास प्राप्त पार्थिकरण गौतमबुद्धनगर्।

THE

1 एम जीतीएन 0013891/110गार/दिनांक

केप त्यान एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेन्ट प्रोनर्ग, 01/ए संक्टर 74, नाएडा, जिला गौतमबुद्धनगर के सम्बन्ध मे।

उपर्युक्त विषयक पश्नगत एसोसिएशन के सम्बन्ध में कार्यालय प्रयांक 2601 दिनाक 07 01 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-25(2) के अन्तर्गत निर्वाचन की घोषणा करते हुए जिला विकलांग कल्याण अधिकारी गौतमवुद्धनगर का निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया।

नामित निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्रांक 6391/जि0दि०ज०स०वि०/निर्वाचन/2024—25 दिनांक 21 01.2025 जो संस्था के कार्यरत अध्यक्ष / सचिव को सम्बोधित है तथा प्रतिलिपि के माध्यम से कार्यालय न दिनाक 22.01.2025 को प्राप्त कराया जिसमें मुख्यतः उल्लेख किया गया कि सोसायटी उपरोक्त में निर्वाचन म सहयोग हेतु सदस्यता सूची / मतदाता सूची, डी०ओ०डी० पंजीकृत मॉडल बायलोज की सत्यप्रतिलिपि, अनुमानित निर्वोचन व्यय (डी०ओ०डी० उपलब्ध न कराये जाने के दशा में निर्वाचन वन फ्लैट वन वाट क आधार पर सम्पन्न करा दिया जायेगा) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 25.01.2025 समय 02:00 बज तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की दृष्टि में उ०प्र० अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 उपविधि 2011 क प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा इत्यादि।

निर्वाचन अधिकारी के उक्त पत्र के क्रम में संस्था की आख्या दिनांक 23.01.2025 जो निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित है तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), गौतमबुद्धनगर के पृष्ठांकन आदेश दिनोंक 28.01.2025 के द्वारा कार्यालय में दिनांक 01.02.2025 को प्राप्त है जिसमें मुख्यतः उल्लेख किया गया कि सोसाइटी के पहले चुनाव में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व ओर अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुरूप कुल 3149 अपार्टमेन्ट स्वामियों को मत देने का अधिकार दिया गया था। उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व ओर अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 के प्रावधानों क अनुरूप सोसायटी के पंजीकृत उपकानूनो के अनुसार मतदान के लिये निम्नलिखित नियम सम्मिलित किये जाने के प्रार्थना है।


1- जो मतदाता रखरखाव शुल्क में दो महीने या उससे अधिक के रखरखाव शुल्क के बराबर बकाया है वे मतदान के लिये पात्र नही होगे।

2- कंवल पात्र मतदाता ही उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या अनुमोदन कर सकते है क्योंकि वे ही निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते है।

3- आम चुनाव की तरह किसी उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिये 05 प्रस्तावकों की समर्थन आवश्यक होगा।

4- केवल पात्र मतदाता ही क्लब के हॉल में प्रवेश का सकेंगे, जहा मतदान बूथ की व्यवस्था की जायेगी।

5- पंजीकृत उपकानूनो के अनुसार संयुक्त स्वामित्व के मामले में फर्स्ट ओनर (पहला अपार्टमेन्ट स्वामी) जो पंजीकृत उप पट्टा प्रलेख के अनुसार डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत मतदाता सूची म अंकित है, को मतदान का अधिकार प्राप्त हो।



चुनाव में गंभीर सहभागिता सुनिष्टियत करने के लिये उम्मीदवारों से सोसाइटी के पूर्व में हुये चुनाव एवं अकाउंट में जमा करने अनिवार्य किया जाये। यह शुल्क नामांकन प्रक्रिया के दौरान सोसाइटी श्री नतीन करने अनिवार्य किया जाये इत्यादि।

श्री नवीन चन्द्र दुबे का पत्र दिनांक 19.03.2025 जो निर्याचन अधिकारी को सम्बंधित है तथा प्रतिलिपि कि रूप में कार्यालय में दिनांक 20.03.2025 को प्राप्त है जिसमें मुख्यत जल्लेख किया गया कि आपे दिनांक के दौरान यह पाया गया कि इनमें से 05 व्यक्ति जलार प्रदेश अपार्टमेन्ट (संवर्धन, निर्माण, स्वामित्व एवं अनुरक्षण) अधिनियम 2010 के अनुसार अपार्टमेन्ट मालिक नहीं माने जा सकते. क्योंकि जनके पहा में Registered Deed of Apartment निष्पादित नहीं है। अतः वे मतदान करने या युनाव समिति में उनका नाम ही सम्मलित किया जाता है जिनके पास मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो। किसी अन्य व्यक्ति का उसमें सम्मलित किया जाता है जिनके पास मतदाता सूची में छेड़छाड़ किये जाने की संभावन बहा हेता है आदि।

श्री नवीन चन्द्र दुबे का एक अन्य पत्र दिनांक 05.04.2025 जो जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सम्बोधित है तथा प्रतिलिपि के रूप में कार्यालय में दिनांक 07.04.2025 को प्राप्त है में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि प्रार्थी चुनाव अधिकारी केपटाउन सेक्टर 74 नोएडा (जिला दिव्यंगजन सशक्तीकरण अधिकारी-गौतमबुद्धनगर) द्वारा उनके कार्यालय में ड्रॉ के माध्यम से चयनित चुनाव समिति का सदस्य हैं दिनांक 05.04.2025 को चुनाव अधिकारी द्वारा आहूत उनके कार्यालय में हुई बैठक में उनके द्वारा सूचित किया गयसा कि उनके द्वारा मतदातासूची में पंजीकृत सोसाइटी बायलॉज से परे सामान्य क्षेत्र के रखरखाव शुल्क के भुगतान को आधार बनाकर एक बड़ा फेरबदल करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट शिल्क के भुगतान को आधार बनाकर एक बड़ा फेरबदल करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा है हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में नोएडा प्राधिकरण से जारी पत्र दिनांक 11.02.2025 में उल्लिखित नोएडा द्वारा पत्रांक नोएडा / ग्रुप हाउसिंग / 2010 / 4126 / दिनांक 28. 06.2018 में निम्नानुसार कहा गया है-

यू०पी० अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 के नियम व शर्तो के अनुसार जिन फ्लैट आवंटिया के पक्ष में फ्लैट कि उप पट्टा प्रलेख पंजीकृत नहीं कराया गया है वह अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिशन के होने वाले चुनाव में मतदान नहीं कर सकते है आदि।

गृह प्रवेश आदेश (SPLAD(a)_581_2018) के अनुपालन में हुए चुनाव में उनही अपार्टमेन्ट स्वामियों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था जिनके पक्ष में उप पटटा प्रलेख पंजीकृत है।

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण), स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 की धारा 13 में इस प्रकार से कहा गया है—13.[Substituted by Act no 30 of 2016 dated 19-09-2016] No promoter of apartment owner shall transfer or handover the possession of any apartment constructed after the commencement of the Uttar Pradesh Apartment (Promotion of construction Ownership and Maintenance) Act 2010 without executing an appropriate transfer deed and also getting it registered under the provisions of the Registration Act 1908.


उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण), स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 की धारा 14(4) में इस प्रकार से कहा गया है–

Association of apartment owners and byelaws relating thereto.

(3) In a case, where an association of the apartments owners of building has no been fromed, on the intended date of execution of deed of apartment in favour of prospective apartment owner, it shall be obligatory for written intimation about the formation of such association.

(4) Where an association of an apartment owners exists on the intended date of transfer of an execution of a deed of an apartment in his favour.

Unquote- यह प्रावधान अपार्टमेन्ट के स्वामित्व के हस्तांतरण की संभावित तिथि के संदर्भ में दिया गया है जिसके अनुसार अपार्टमेन्ट के प्रस्तावित मालिक के लिये यह अनिवार्य है कि वह अपने पक्ष में अपार्टमेन्ट की डीड के निष्पादन से पूर्व संघ का सदस्य बने।



इसके अतिरिक्त मॉडल बायलॉज के अनुसार चुनाव अधिकारी के पास मतदाता की परिभाषा में अनुमित देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार केवल अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ की आम समा को श्री नीरज कुमार का पत्र दिनांक 0204 2022 का महिना से कि स्वाप्त को प्राप्त है जिसमें

श्री नीरज कुमार का पत्र दिनांक 03.04.2025 कार्यालय में दिनांक 18.04.2025 को प्राप्त है जिसमें मुख्यतः उल्लेख किया गया कि I am writing to bring to your kind attention on a crucial concern regarding the voting rights of non registered owners in our residential content of Apartment Owners)

voting rights of non registered owners in our residential society elections (Association of Apartment Owners)

Many residents Many residents who have purchased properties from Builder Supertech but unfortunately unable to execute transfer of deed (registry) because builder Supertech is in unsolvency process and the matter is in honourable NCLAT. Descriptions and the matter is in unsolvency process and the matter is in unsolvency process and the matter is in unsolvency process and the matter is in unsolvency process. honourable NCLAT. Due to the heavy land dues the transfer of deed (registry) of the flat owners has been stalled.

More than 2300 gas are transfer of deed (registry). More than 2300 flat owners has got the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) due to the above made of the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) due to the above made of the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry) and the possession by builder but not able to execute transfer of deed (registry). due to the above mentioned reason. These flat owners are not only living in teh society for years but also paying the CAM. This are not only living in teh society and the CAM. This are not only living in teh society and the CAM this situtaion has led to dissatifaction among resident, as they are active members of the society and contribute possess. contribute equally to its maintenance and welfare. As per natural justice, every bona fide property owner or resident who fulls. resident who fulfils ownership criteria should have the right to participate in the election process to ensure fair representation. I am writing to bring your kind attention on a significant issue regarding the voting rights of Non-Registered Owner. Registered Owners in our residential society elections. As you many be aware, a letter was issued by the Noida Authority on 20 co. according to bring your kind attention on a significant issue regarding to bring to bring your kind attention on a significant issue regarding to bring the Noida Registered Owners in our residential society elections. As you many be aware, a letter was issued by the Noida Authority on 20 co. orders have been passed by the Hon'ble Allahabad High Court in favour of NROs, granting them the right to vote in society elections. Order copy has been attached with his letter for your reference. इसके अतिरिक्त अनुरोध किया गया कि I kindly request you to intervein in this mater provide a clear directive or guidance regarding the eligibility of such residents to vote in society elections. This will help ensure a transparent and inclusive electoral process, preventing any discrimination against legitimate homeowners. I urge to take necessary action at the earliest and provide clarity on this matte. Looking forward to your response etc. उक्त पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 5287/2023 का सन्दर्भ देते हुये उसमें पारित आदेश से

Clause 4(1) of the bye-laws of the Society (adopted from the Model Bye-Laws) speaks of 'automatic' अवगत कराया गया जिसका प्रभावी अंश निम्नवत हैmembership of those person, who have a duly executed transfer deed. It does not exclude others who do not have transfer deeds from becoming members, just that such persons would not 'automatically: become members. Their membership would be contingent upon them establishing laws, occupation. Any other interpretation would render Clause 4(1) vulnerable to Sections 5(1), 8 and 14(4) of the Act, besides bringing it in direct conflict with M/s Designarch (Supra). So interpreted it may not be necessary for the Court to consider challenge to the validity of the said clause. It appears that the respondent no.2 has not kept in mind his own election notice dated 23.01.2023. There is nothing on record to indicate that the said election notice has been revoked. Clause 2 of the said notice indeed prima facie reflected the correct legal position. The impugned order dated 01.02.2023 passed by the respondent no.2 is thus contrary to his own stand. Clause 4(1) of the bye-laws would not create any bar in the case of lawful occupants who do not have a transfer deed. This Court is also mindful of the fact that the outgoing body which is supporting the exclusion today may itself have been elected on the basis of a voter list which comprised of such voters. From what has been discussed above, I am of the view that the impugned order dated 01.02.2023 is prima facie illegal. Irreparable loss would be caused if such a significant chunk of voters (296 persons) are prevented from exercising their electoral choice. The body of office bearers must be truly reflective of the will of the majority. The impugned order dated 01.02.2023 is accordingly stayed. The respondent no.2 shall proceed as per Clause 2 of his election notice dated 23.01.2023 and permit all such lawful occupants to participate in the election who may not have a transfer deed. Elections shall be held as scheduled on the basis of this voter list. The result however would remain subject to the final outcome of the present petition. In case the petitioners

fail, fresh elections shall be conducted without such voters.

उपरोक्त के क्रम में उक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ सादर प्रेषित की जा रही है कि पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं का संज्ञान लेकर अनरजिस्ड ओनर के वोटिंग अधिकार के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें जिससे संस्था के निर्वाचन के सम्बन्ध में अग्रिम अधिकार के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें जिससे संस्था के निर्वाचन के सम्बन्ध में अग्रिम

कार्यवाही की जा सकें। संलग्नक:-यथोपरि।

(ऋषभ कुमार अग्रवाल) © डिप्टी रजिस्ट्रार

सत्य प्रतिलिपि पट्ट - क कार्यालक विद्धी संकेष्ट्रार फर्म सोबाइतित तथा विद्स गानियायाद (उ०००)

orc